पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 160/2018

अनवान :

1. जगदीश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुंन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
3. रामलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
4. शेरसिंह पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
5. कान्ता पत्नि बलवीर पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
6. पूजा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
7. प्रीतम पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
8. गौरा पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
9. विद्यादेवी पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
10. संतोष पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
11. पार्वती पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि साबित नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.11.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वां)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 160/2018

अनवान :

1. जगदीश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
3. रामलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
4. शेरसिंह पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
5. कान्ता पत्नि बलवीर पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
6. पूजा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
7. प्रीतम पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
8. गौरा पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
9. विद्यादेवी पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
10. संतोष पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
11. पार्वती पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दडिया छोटा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राममूर्ति ताखर **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 16.11.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्दडिया छोटा के खाता सं0 39/41 के खसरा सं0 24 की 6.1080 है0 बारानी भूमि व खसरा सं0 132 की 1.8340 है0 बारानी भूमि है व खसरा सं0 142 की 3.0100 है0 बारानी भूमि है कुल खसरा सं0 3 की कुल भूमि 10.9520 है0 बारानी भूमि है जो तुलछाराम के नाम से दर्ज है जो तुलछाराम के पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। इसी प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता पेमाराम को विरासतन मिली थी।

वाद भूमि पहले वादी के दादा पेमाराम की खातेदारी हुआ करती थी पेमाराम का देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी तुलछाराम को विरासतन प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में तुलछाराम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई इस

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 हिन्दू विधि से मिताक्षरा पद्धति से साबित होते है।

वाद भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 का संयुक्त परिवार की सुख शांति के लिए पारिवारिक सेटलमेन्ट करीब दो वर्ष पूर्व हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 का वाद भूमि में अपना जो हक व हिस्सा बनता था। वादी एवं प्रतिवादी मांगेराम, रामलाल, शेरसिंह, कान्ता पत्नी बलवीर, पूजा, प्रीतम पुत्र/पुत्री बलवीर के पक्ष में हक त्याग कर दिया था इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 8 ता 11 को क्रमशः गौरा, विद्या, संतोष, पार्वती ने वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 के पक्ष मे अपना बहिस्सा बराबर हक त्याग कर दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 12 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 जगदीश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम मुन्दडिया छोटा खाता सं0 39/41 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग(सेटलमेन्ट) ग्राम मुन्दडिया छोटा सम्वत् 2019 प्रदर्श 2, 3, 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि पहले वादी के दादा पेमाराम की खातेदारी हुआ करती थी पेमाराम का देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी तुलछाराम को विरासतन प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में तुलछाराम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 हिन्दू विधि से मिताक्षरा पद्धति से साबित होते है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मुन्दडिया छोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 हिन्दू विधि से मिताक्षरा पद्धति से शासित होना अंकित किया है किन्तु वादी ने वाद भूमि को पैतृक साबित करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पुराने समय की दादा पेमाराम के नाम की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है जिससे वादी वाद भूमि को दादालाई पैत्रक कृषि भूमि साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित नहीं है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

अत : वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि साबित नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वां)
सहायक कलक्टर R.A.S
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ